न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	किस्म मुकदमा	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.43/2025 (GCMS No. 2025/146)	**प्रार्थना पत्र**	14.10.2025	24.02.2026

बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बून्दी
जरिये सचिव, बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि.
बून्दी (राज0)

— प्रार्थी

बनाम

1.धन्ना पुत्र ग्यारस्या जाति मीणा, निवासी खेड़लीखुर्द तह. के.पाटन
(मृतक जर्ये कायम मुकामान) :—
1/1.भंवरलाल पुत्र स्व.धन्ना जाति मीणा, नि.खेड़लीखुर्द तह.के.पाटन
1/2.रामलाल पुत्र स्व.धन्ना जाति मीणा, नि.खेड़लीखुर्द तह.के.पाटन
1/3.रामी बाई पत्नी स्व.धन्ना जाति मीणा,नि.खेड़लीखुर्द तह.के.पाटन

1/4.रघुवीर पुत्र स्व.धन्ना जाति मीणा, नि. खेड़लीखुर्द तह.के.पाटन
(मृतक जर्ये कायम मुकामान) :—
1/4(1) अनुज पुत्र स्व.रघुवीर जाति मीणा,नि.खेड़लीखुर्द तह.के.पाटन
1/4(2) धर्मेश पुत्र स्व.रघुवीर जाति मीणा,नि.खेड़लीखुर्द तह.के.पाटन
1/4(3) कलावती पत्नी स्व.रघुवीर मीणा,नि.खेड़लीखुर्द तह.के.पाटन

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 व नियम 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 बाबत ऋणी सदस्य की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरित करने।

उपस्थितः—

1. प्रार्थी की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
2. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

जिला कलेक्टर; बून्दी

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी धन्ना आ. ग्यारस्या मीणा द्वारा बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं करने तथा प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन अप्रार्थी की सम्पत्ति (कृषि भूमि) को प्रार्थी बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 99(3) के तहत बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 43/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025/146 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी धन्ना के फोत हो जाने से उसके वारिसान अप्रार्थीगण वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस आहूत किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुई, किन्तु बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 08.12.2025 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी धन्ना पुत्र ग्यारस्या जाति मीणा निवासी ग्राम खेडलीखुर्द तहसील के.पाटन द्वारा सचिव, बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी से ऋण लिया था। जिसे चुकता नहीं करने पर सचिव, बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार असल 301952 रू., ब्याज 565924 रू., दण्डनीय ब्याज 83159 रू., कुल राशि 951035 रू. एवं तत्पश्चात दिनांक 30.06.2018 तक अप्रार्थीगण के खाते में कुल बकाया असल 303705 रू. जिसमें अवधि पार असल 303705 रू, ब्याज 673921 रू., दण्डनीय ब्याज 112597 रू., वसूली व्यय 31067 रू. सहित कुल राशि 1121290 रू. की अदायगी अप्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई है। उक्त डिक्री की राशि की वसूली हेतु जारी निष्पादन आदेश की कियान्विति करने के लिए विक्रय अधिकारी द्वारा बैंक में बन्धकित सम्पत्ति ग्राम खेड़लीखुर्द, पटवार हल्का माधोराजपुरा, तहसील के.पाटन जिला बून्दी में स्थित आरांजी कृषि भूमि खसरा संख्या 265 रकबा 0.8400 हैक्टेयर, ख.सं. 266 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, ख.सं. 267 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, ख.सं. 376 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, ख.सं. 389 रकबा 0.8000 हैक्टेयर, ख.सं. 446 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किता 6 कुल रकबा 2.8100 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 एवं खसरा सं. 392 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, ख.सं. 393 रकबा 0.1200 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.6200 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 तथा खसरा सं. 396 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, ख.सं. 398

जिला कलक्टर, बून्दी

रकबा 0.8700 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.0200 हैक्टेयर पूर्ण भाग को विक्रय करने की कार्यवाही की गई, किन्तु क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफारिश पर यह कार्यवाही पेश की गई है। अप्रार्थी की सम्पत्ति (कृषि भूमि) जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन है, को प्रार्थी बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण अप्रार्थीगण की उक्त सम्पत्ति (कृषि भूमि) को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 99(3) के तहत बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थी धन्नालाल पुत्र ग्यारसीलाल कौम मीना, निवासी ग्राम खेडलीखुर्द तहसील के.पाटन द्वारा सचिव, बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी से ऋण लिया था। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी सहकारी बैंक की अवधिपार बकाया ऋण राशि जमा कराये जाने हेतु जारी नोटिस एवं तत्पश्चात जारी मांग नोटिस तामील हो जाने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं करवायी गयी है। इस कारण अप्रार्थी की प्रार्थी सहकारी बैंक में बन्धकित सम्पत्ति ग्राम सम्पत्ति ग्राम खेड़लीखुर्द, पटवार हल्का माधोराजपुरा, तहसील के.पाटन जिला बून्दी में स्थित आराजी नकल जमाबंदी संवत् 2071–2074 में अंकित कृषि भूमि खसरा सं. 396 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, ख.सं. 398 रकबा 0.8700 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.0200 हैक्टेयर पूर्ण भाग एवं खसरा संख्या 265 रकबा 0.8400 हैक्टेयर, ख.सं. 266 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, ख.सं. 267 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, ख.सं. 376 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, ख.सं. 389 रकबा 0.8000 हैक्टेयर, ख.सं. 446 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किता 6 कुल रकबा 2.8100 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 तथा खसरा सं. 392 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, ख.सं. 393 रकबा 0.1200 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.6200 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 को बैंक द्वारा जरिये निलामी विक्रय करने हेतु कार्यवाही की जाकर निलामी हेतु 06 बार तिथि निश्चित की गयी, किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बून्दी द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गई भूमि को प्रार्थी सहकारी बैंक को अन्तरित करने हेतु प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 30.06.2018 के निर्णय का दिनांक 10.08.2018 को अनुमोदन किया गया तथा प्रकरण नीलामी से नहीं बेची जा सकी प्रार्थी बैंक के रहन भूमि को सहकारी बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंषा की है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा उक्त सम्पत्ति को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 103 के तहत बैंक के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

यहां उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त सहकारी बैंक की उक्त बकाया राशि जमा कराने बाबत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील विधिवत रूप से करवायी जाने पर भी अप्रार्थीगण इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये और ना ही बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नहीं करवाने बाबत कोई युक्तिसंगत कारण न्यायालय में पेश किया गया। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की विवेचना के आधार पर सचिव, बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित बैक के रहन दर्ज कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 103 के तहत बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बून्दी के नाम अन्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार के0पाटन को निर्णय की प्रमाणित प्रति आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 24.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी